न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री संजय कुमार माथुर
2. प्रकरण संख्या : 11/2021
3. उनवान : सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

बिरदाराम पुत्र झुंथाराम जाति नायक नि0 ग्राम डयोढी तहसील फुलेरा जिला जयपुर गैर खातेदार

–अप्रार्थी

4. निर्णय दिनांक : 27-11-2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम कान्या, पटवार हल्का दोबडी, तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नम्बर 66/12 रकबा 2.5290 है0 बारानी 4 राजस्व रिकार्ड में बिरदाराम पुत्र झुंथाराम जाति नायक निवासी ग्राम डयोढी तहसील फुलेरा जिला जयपुर के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का दोबडी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गैर खातेदार बिरदाराम पुत्र झुंथाराम जाति नायक का सम्पूर्ण हिस्से पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही मौके पर कब्जा है तथा ना ही प्रार्थी ने आवंटन नियमों का पालना की है। अतः आवंटन नियमो की शर्तो का पालन नहीं होने से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर आवंटन निरस्त करने की आज्ञा पारित की जावे। अन्त में अनुतोष चाहा गया है कि गैर खातेदार द्वारा शर्तें भंग करने के कारण गैर खातेदारी भूमि आवंटन निरस्त कर सिवायचक घोषित करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र 14(4) प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को तलबी नोटिस जारी किये गये। नोटिस अदम तामील प्राप्त हुए। पुनः रजिस्टर नोटिस भिजवाये गये जो एक माह बीतने पर लौटकर नही आये। प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा को अप्रार्थी के सही पते की सूचना प्रेषित करने हेतु लिखा गया। साथ ही प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा को आवंटन संबंधित दस्तावेज एवं आवंटन की शर्तों की प्रति मय समस्त गिरदावारी की प्रतियां पेश करने हेतु भी लिखा गया परन्तु उक्त सूचना प्रार्थी द्वारा प्रेषित नहीं की गई। 14(4) का प्रार्थना पत्र तहसीलदार फुलेरा द्वारा पेश किया गया है। ऐसे में प्रार्थी तहसीलदार की जिम्मेदारी है कि वह समस्त रिकॉर्ड दस्तावेजों सहित स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण में प्रभावी पैरवी करते। अतः

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

प्रकरण प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि प्रकरण का पुनः परीक्षण कर यदि आवश्यक हो, तो नवीन प्रकरण मय अप्रार्थी के सही पते की सूचना, मौका रिपोर्ट आवंटन पत्रावली मय समस्त खसरा गिरदावरी आवंटन शर्तों आदि के साथ इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 27.1.2025 को सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसला दर्ज नम्बर से कम हो।

Court of the Addl. Collector & District Magistrate-III JAIPUR

(संजय कुमार माथुर)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर